



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226546
CG-DL-E-13042021-226546

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1466]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 1466]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2021

का.आ. 1577(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड

(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH527A के कि.मी. 13.95

कि.मी. से 14.88 कि.मी., NH527A के किमी 39.8 कि.मी. से 40.5 कि.मी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय

राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन

सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH527A, NH527A तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH527A के कि.मी. 13.95 से 14.88 तक	बिहार	मधुबनी	राजनगर	1 महिनाथपूर
2	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH527A के कि.मी. 39.8 से 40.5 तक	बिहार	दरभंगा	तारडीह	1 एवं

[फा. सं. 142/13/2015-TPL]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2021

S.O. 1577(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 13.95 to Km. 14.88 of the NH527A, Km. 39.8 to Km. 40.5 of the NH527A for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of BIHAR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH527A, NH527A in the State of BIHAR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Acquisition Officer	13.95KM To 14.88KM	BIHAR	MADHUBANI	Rajnagar	1 Mahinathpur

2	District Land Acquisition Officer	39.8KM To 40.5KM	BIHAR	DARBHANGA	Tardih	1	Awam
---	-----------------------------------	------------------	-------	-----------	--------	---	------

[F. No. 142/13/2015-TPL]

RAJESH GUPTA, Director